

14/8/24

पत्रावली पेश हुई वकीलवादी रूप में वकील वादी के प्रतिनिधि 30/11
 की नामित पेश करने के लिए पत्रावली अवरुद्धिया जा चुका है,
 लेकिन पत्रावली अवरुद्धिया होने के बावजूद भी अजल दिमांक
 तक नामित की रसद पेश नहीं। अतः वादी का वाद अंतर्गत
 अवेका 3 नियम 5 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली
 अवरुद्धिया के बाद नामित से कम होकर होखिल इफरुद्धिया

